मैने श्री वीरेन्द्र शर्मा शिकायतकर्ता व्दारा प्रस्तुत शिकायत का अवलोकन किया एवं इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, रीवा से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उसको भी देखा ।

2. इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने मुख्य अभियंता के कार्यालय में एक आवेदन पत्र देकर एक सूची संलग्न की है, जिसके अनुसार उन्होने विभिन्न प्रपत्रों की सत्यप्रतिलिपि चाही है । उन्होंने जो जानकारी चाही है, वह कार्यपालन यंत्री एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों से संबंधित है । शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन की जो प्रति लगाई है उसमें भी उन्होने ''लोक सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन यंत्री, समस्त संरचनाधीन'' उल्लेख किया है– व्दारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा भी उल्लेखित किया है । इससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को यह मालूम है कि जो जानकारी वह प्राप्त करना चाहता है वह किस कार्यालय में रखी जाती है ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक को उसी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये जिस कार्यालय में जानकारी रखी जाती है । इस प्रकरण में जो जानकारी कार्यपालन यंत्री के यहां रखी जाती है उसके लिये उन्हें संबंधित कार्यपालन यंत्री के यहां आवेदन देना चाहिये । यदि जानकारी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में रखी जाती है तो अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना चाहिये अतः यदि शिकायतकर्ता जिन बिन्दुओं की जानकारी चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिये संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ।

3. उपरोक्त सूचना शिकायतकर्ता को दी जाये और उसके उपरांत यह प्रकरण समाप्त किया जाये ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
03 जुलाई ,2006